

## कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 9974

दिनांक 13/10/2025

प्रेषिति : - श्रीमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) महोदय

नवलगढ

विषय :- उनवानी प्रकरण जगमोहन सिंह आदि बनाम छगनलाल आदि मु.न.159/2025 में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत ।

प्रसंग :- श्रीमान के आदेश क्रमांक / राजस्व / 2025 / 300 दिनांक 26.09.2025

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी प्रकरण जगमोहन सिंह आदि बनाम छगनलाल आदि मु.न.159/2025 में निर्णय दिनांक 15.07.2025 की पालना में राजस्व ग्राम बागोरियों की ढाणी तहसील नवलगढ का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान की सेवामे सादर प्रेषित है ।

संलग्न : - मूल विभाजन प्रस्ताव (दो प्रति)

  
तहसीलदार (भू.अ.)  
नवलगढ



**मौका रिपोर्ट**  
( विभाजन प्रस्ताव )

में ब. ह. लाल..... (नाम) तहसीलदार.....तबलाग, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, तबलाग..... के आदेश क्रमांक राज्य/2025/300 दिनांक 26/9/25 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 6/10/25 समय 11:00 AM बजे आराजी खसरा नम्बर-317 ख-1-21 (बगैरिय सी हान) वक्रे-अम्म ..... पटवार हल्का चिरमा पर श्री रामसरण श्री (D.L.) सौम्य भाद्विन (पटवार) नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, तबलाग..... में विचाराधीन प्रकरण संख्या-159/2025 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1	<u>जगमोहन सिंह</u>	<u>प्रभासिंह शेखर</u>		<u>राजपुर</u>	<u>वादी</u>

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

पटवारी

06/10/25  
इ.ए. वि. नं.

06/10/25  
पटवारी निराम  
तहसीलदार (रा. न.)  
तबलाग

अधिनियम पत्रकारों की उपस्थिति में अन्तिम मुद्राया मंजूर किया गया एवं राजस्वान काव्यकारी (राजस्व मण्डल) नियम - 1955 के नियम - 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए -

\* ग्राम - वाजोरिया की वली

क्र. सं.	नाम खातदार	अ. नं.	रकबा (है.)	किस्म
1.	जगमोहन सिंह पि. प्रभु सिंह शेखावत, जाति - राजपूत, सा. लोहरडा	$\frac{317}{2}$	0.11	वा. 3
		किता-1	0.11	वा. 3

2.	द्वजलाल पि. शोलामाम हि. $\frac{8792}{11000}$ , जाति बारी सा. देह पूछा देवी पत्नी देवी प्रभुकार सैनी हि. $\frac{1104}{11000}$ , मुन्नी देवी सैनी पत्नी सत्यनारायण सैनी हि. $\frac{1104}{11000}$ , जाति - माली शेष वक जमा	$\frac{317}{1}$	1.10	वा. 3
		किता-1	1.10	वा. 3

\* ग्राम - रामपुरा

क्र. सं.	नाम खातदार	अ. नं.	रकबा (है.)	किस्म
1.	जगमोहन सिंह पि. प्रभु सिंह शेखावत, जाति - राजपूत, सा. लोहरडा	$\frac{779}{1}$	0.0624	वा. 2
		किता-1	0.0624	वा. 2

2.	भंडरलाल पि. बौदराम जाति - माली, सा. देह	$\frac{779}{2}$	0.04	वा. 2
		किता-1	0.04	वा. 2

जागरूकता

*[Signature]*  
06/10/25  
ILK (1/1/1)

*[Signature]* 06/10/25  
पकारी चिराम

06/10/2025  
तहसीलदार  
नवलपरा

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/ प्रतिवादी.
1	जगमोहन सिंह	प्रभासिंह शेरवात	बालभद्र		प्रतिवादी. जगमोहन

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी.

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं..

इस प्रकार आज दिनांक ..... को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.
पं. मं.	वृत्त.....	.....

हस्ताक्षर  
तहसीलदार (भू.अ.)  
नवलगढ़

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू  
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

क्रमा नम्बर 159/2025

दायर दिनांक-19.06.2025

1. जगमोहन सिंह पुत्र प्रभुसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी लोहरड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-वादी

बनाम

1. छगनलाल पुत्र धोलाराम जाति बारी निवासी ग्राम बागोरियां की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. पुष्पा देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार सैनी जाति माली निवासी ग्राम किरोड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3. मुनी देवी सैनी पत्नी सत्यनारायण सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं० 6 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4. भंवरलाल पुत्र बोदूराम जाति माली निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5. प्रबंधक ए०यू० स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड शाखा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री संदीप सैनी

वकील प्रतिवादी :- श्री राकेश कुमार सारस्वत

दावा बाबत विभाजन

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 13.10.2025

वाद वादी दिनांक 15.07.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: भू० अ०/2025/9974 दिनांक 13.10.2025 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष की ओर से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निर्णय किये जाने पर सहमत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 317 रकबा 1.2100 है० तथा राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 779 रकबा 0.1024 है० भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

ग्राम - बागोरियां की ढाणी

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	जगमोहन सिंह पिता प्रभुसिंह शेखावत जाति राजपूत साकिन देह खातेदार	317/2	0.11	बारानी 3
2	छगनलाल पिता धोलाराम हिस्सा 8792/11000 जाति बारी साकिन देह खातेदार पुष्पा देवी पत्नी देवन्द्रकुमार सैनी हिस्सा 1104/11000, मुन्नी देवी सैनी पत्नी सत्यनारायण सैनी हिस्सा 1104/11000 जाति माली	317/1	1.10	बारानी 3

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)  
नवलगढ़

ग्राम- रामपुरा

क्र.स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	जगमोहन सिंह पिता प्रभूसिंह शेखावत जाति राजपूत सा0 लोहरड़ा	779/1	0.0624	बारानी 2
2.	भंवरलाल पिता बोदूराम जाति माली सा0 देह खातेदार	779/2	0.04	बारानी 2

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सैनी )  
सहायक क्लर्क एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी :- सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)  
दमा नम्बर 159/2025

दावा : विभाजन

( जगमोहन बनाम छगनलाल आदि )

अंतिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण  
मनजानिब- मुददालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.10.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन  
प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित  
मि खसरा नम्बर 317 रकबा 1.2100 है0 तथा राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर  
79 रकबा 0.1024 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

ग्राम - बागोरियां की ढाणी

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	जगमोहन सिंह पिता प्रभुसिंह शेखावत जाति राजपूत साकिन देह खातेदार	317/2	0.11	बारानी 3
2	छगनलाल पिता धोलाराम हिस्सा 8792/11000 जाति बारी साकिन देह खातेदार पुष्पा देवी पत्नी देवन्द्रकुमार सैनी हिस्सा 1104/11000, मुन्नी देवी सैनी पत्नी सत्यनारायण सैनी हिस्सा 1104/11000 जाति माली	317/1	1.10	बारानी 3

ग्राम- रामपुरा

क्र.स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	जगमोहन सिंह पिता प्रभूसिंह शेखावत जाति राजपूत सा0 लोहरड़ा	779/1	0.0624	बारानी 2
2.	मंवरलाल पिता बोदूराम जाति माली सा0 देह खातेदार	779/2	0.04	बारानी 2

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर  
राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद  
किया जावे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.10.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
मह (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू  
मजिस्ट्रेट